

SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 6007481403211104

Date : 14-03-2021

प्रभाती : 2 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री : rachit vishwakarma S/O mohan lal vishwakarma, minor ankit vishwakarma S/O mohan lal vishwakarma,

पतेरुवा : babu tola seraikella

seraikella kharsawan, 833219

3709905221,8709905221

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपको नया गृह सं. - 0070000408000M0 वार्ड सं. 7 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर

गणितिक बिलाना मूल्य 0/- ₹. निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	स्वनिर्धारित कर की सूचना Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	25.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		25.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, www.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11 4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
रिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना बना कर निर्माण की सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पावे।
3. प्रत्येक विधीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान विधीय वर्ष के 30 अंश के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय प्रति की निर्दिष्ट सम्पत्ति (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्वनिर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्वनिर्धारण-व्यवस्थापन पत्र की स्वीकृति आप तथा स्वयं निर्णय कर सकते हैं एवं तयद जलत प्राप्त प्राप्त पर निर्णयवली कंडिका 13 2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Power) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा सञ्चालित इस सम्पत्ति कर इन धारतों/धार्यों को कोई कानूनी शिकायत नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दायतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये रेजिडेंस नं.ओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

सरायकेला सरायकेला वार्ड नं0-2 03012 MR RACHIT VISHWAKARMA, MINOR ANKIT VISHWAKARMA		
खाता संख्या 190	खेसरा संख्या 415	रकबा (एकड़ में) 0 एकड़ 5 दिसमील 0 हेक्टर
अराजी नकदी	अराजी भावली	रफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2020-2021)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष	
माल (नकदी)	2.00				2.00	
गुजारी (भावली)	0.50				0.50	
सेस	1.00				1.00	
सूद	1.00				1.00	
मुतफरकात	0.40				0.40	
मीजान	4.90				4.90	

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया			मीतलबा हाल (2020-2021)	फाजिल
		3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
माल (नकदी)					2.00	
गुजारी (भावली)					0.50	
सेस					1.00	
सूद					1.00	
मुतफरकात					0.40	
मीजान अदायकारी					4.90	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Four Rupees and Ninety Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 4.90

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 28-11-2020

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।